न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :–01/171/2017 ऑनलाईन नम्बर–2017/00348 प्रवेश तिथि–26.09.2017

1. लिछमन पुत्र छीतर जाति जांगडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम नांडू तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर। मृतक जरिये वारिसान–
   1/1. अशोक कुमार जांगिड पुत्र स्व0 श्री लिछमन जाति जांगिड निवासी नांडू तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर।
   1/2. ओमकान्त जांगिड पुत्र स्व0 श्री लिछमन जाति जांगिड निवासी नांडू तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर। .....वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर जिला अलवर राजस्थान।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ वर्तमान तहसीलदार टहला जिला अलवर राजस्थान।
   .....प्रतिवादीगण

दावा इरतकरारहक्क राजस्थान काश्तकारी अधिनियन 1955 अन्तर्गत धारा –88,
उपस्थितः–श्री सतीश शर्मा एड0–वादी
पैरोकार सरकार–प्रतिवादी

दिनांक 25./11/2025

–:निर्णयः–

1. आज यह पत्रावली अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा एक दावा इस्तकरारहक्क अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि साबिक आराजी खसरा संख्या 302 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम नांडू तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। जिसके हाल आराजी खसरा संख्या 284/0.09, 285/0.18, 286/0.30 वाके ग्राम नांडू तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर कायम किये गये जिसमें वादी का रकबा 0.32 है0 कम कर दिया गया लेकिन बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियान ने मौके के खिलाफ और 25.09.1972 के आदेश को बिना देखे उक्त आराजी सिवायचक दर्ज कर दी गई। जबकि उन्है ऐसा करने का कोई अधिकार नही था। बल्कि उक्त आराजीयात को वादी की खातेदारी में दर्ज करना चाहिए था। हाल खसरा संख्या 284/0.09, 285/0.18, 286/0.30 वाके ग्राम नांडू तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर सिवायचक में दर्ज रहने से वादी के हकूको पर विपरित प्रभाव पडेगा और वादी अपने हकूक खातेदारी से वंचित हो जावेगा। जबकि सन् 1972 से बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। आराजी साबिक खसरा नम्बर 302 रकवा 3 बीघा 11 बिस्वा जिसके हाल खसरा संख्या 284, 285, 286 वाके ग्राम नांडू पर वादी का कब्जा है और वादी काश्त कर फायदा उठाता है। लेकिन प्रतिवादीगण सिवायचक में दर्ज रहने के कारण अपने अधिनस्थ कर्मचारियान से उक्त आराजीयात से बेदखल करने पर उतारू है। और उक्त आराजी को दीगर काश्तकारों को अलॉटमेन्ट करने पर उतारू है। अन्त उक्त में गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर समस्त राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज किया जावे। अन्त में दावा वादी स्वीकार कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 2 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। जो निम्नानुसार है–

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

यह है कि हाल आराजी खसरा संख्या 284/0.09, 285/0.18, 286/0.30 वाके ग्राम नांडू तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर बन्दोबस्त सम्वत 2020 के खसरा नम्बर 302 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा सिचायचक दर्ज रिकार्ड है। अतः आराजी सिवायचक आराजी पर राज्य हित प्रभावी होगा। अन्त में दावा वादी खारीज करने का निवेदन किया गया। वादपत्र में वर्णित आराजी में कोई दखल नही दिया गया था। इसी अनुसार सिवायचक दर्ज कर दिया गया।

3 तनकीयात कायम करके सुनाई गई। तनकीयात के बिन्दु निम्न प्रकार है–

1. आया वादी आराजी खसरा संख्या 302 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा जिसके हाल खसरा संख्या 284/0.09, 285/0.18, 286/0.30 है0 वाके ग्राम नांडू तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। जिसका वादी सन् 1972 नियमन के बाद काबिज है। सम्वत 2046 में सिवायचक का इन्द्राज सिवायचक व बमुकाबले वादी बेअसर करार दिया जाकर खातेदारी दर्ज किये जाने का वादीगण अधिकारी है।

.....वादी

2. आया वादी उक्त वर्णित आराजी के लिए प्रतिवादीगण के मुताबिक रिलीफ प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। .....वादीगण
3. अन्य दादरसी

4. वादी की ओर दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किये गये जिन पर प्रदर्श निम्न प्रकार है–

– नोटिस रशिद संख्या 3690 प्रदर्श–1
– नोटिस रशिद दिनांक 29.09.2000 प्रदर्श–2
– नकल फैसला दिनांक 02.05.1986 तहसीलदार राजगढ प्रदर्श–3
– प्रतिलिपि आर्डर सिट दिनांक 25.09.1972 न्यायालय उप जिलाधीश प्रदर्श–4
– नकल जमाबन्दी 2055 प्रदर्श–5
– नकल गिरदावरी 31/10/44 से 23/2/65 प्रदर्श– 6
– नकल गिरदावरी12/10/67 से 13/3/68 प्रदर्श–7
– नकल गिरदावरी 25/11/71 प्रदर्श–8
– नकल गिरदावरी 04/10/75 प्रदर्श–9
– नकल गिरदावरी 24/10/97 प्रदर्श– 10
–मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046 प्रदर्श– 11,
– जमाबन्दी संवत 2071–75 प्रदर्श 12
– मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046 प्रदर्श– 13
– जमावंदी सम्वत 2035– प्रदर्श–14
– जमावंदी सम्वत 2027– 15
– गिरदावरी सम्वत 2030 प्रदर्श–16
– गिरदावरी सम्वत 2035 प्रदर्श–17

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

5. इसी प्रकार गवाह साक्ष्य के रूप में ओमकान्त पुत्र लिछमन, रामदयाल पुत्र छीतर, प्रहलाद पुत्र नारायण, रामरतन पुत्र कन्हैयालाल, मुकेश पुत्र कन्हैयालाल, के साक्ष्य गवाह लेखबद्व करायें गये जो शामिल मिसल है।

6. प्रकरण में गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 का उद्धरण यहा प्रासंगिक प्रतीत होता है–

> ***88. Suits for declaration of right***— *(1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.*
>
> *(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.*
>
> *(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.*
>
> *(4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.*

7. प्रकरण में बहस वकील वादी की सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान वकील वादी ने वाद पत्र में तथ्यों को दौहराया मात्र एवं निवेदन किया साबिक आराजी खसरा संख्या 302 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम नांडू तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर जिसके हाल आराजी खसरा संख्या 284/0.09, 285/0.18, 286/0.30 वाके ग्राम नांडू तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर कायम किये गये जिसमें वादी का रकबा 0.32 है0 कम कर दिया गया लेकिन बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियान ने मौके के खिलाफ और 25.09.1972 के आदेश को बिना देखे उक्त आराजी सिवायचक दर्ज कर दी गई जबकि उन्हे ऐसा करने का कोई अधिकार नही था। बल्कि उक्त आराजीयात को वादी की खातेदारी में दर्ज करना चाहिए था। हाल खसरा संख्या 284/0.09, 285/0.18, 286/0.30 वाके ग्राम नांडू तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर सिवायचक में दर्ज रहने से वादी के हकूको अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडेगा और वादी अपने हकूक खातेदारी से वंचित हो जावेगा। जबकि सन् 1972 से बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। आराजी साबिक खसरा नम्बर 302 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा जिसके हाल खसरा संख्या 384, 385, 286 वाके ग्राम नांडू पर वादी का कब्जा है और वादी काश्त कर फायदा उठाता है। लेकिन प्रतिवादीगण सिवायचक में दर्ज रहने के कारण अपने अधिनस्थ कर्मचारियान से उक्त आराजीयात से वेदखल करने पर उतारू है। और उक्त आराजी को दीगर काश्तकारों को अलॉटमेन्ट करने पर उतारू है। अन्त में गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर समस्त राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज किया जावे। अन्त में दावा वादी स्वीकार कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

8. प्रकरण में बहस पैरोकार की सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान पैरोकार ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराया गया। और दावा वादी खारीज करने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

9. बहस वकील वादी व पैराकार पर मनन किया गया। और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नोटिस रशिद संख्या 3690 नोटिस रशिद दिनांक 29.09.2000, नकल फैसला दिनांक 02.05.1986 तहसीलदार राजगढ प्रतिलिपि आर्डर सिट दिनांक 25.09.1972 न्यायालय उप जिलाधीश, नकल जमाबन्दी 2055, नकल गिरदावरी 31/10/44 से 23/2/65, नकल गिरदावरी 12/10/67 से 13/3/68, नकल गिरदावरी 25/11/71, नकल गिरदावरी 04/10/75, नकल गिरदावरी 24/10/97, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046, जमाबन्दी संवत 2071–75, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046, जमाबंदी सम्वत 2035, जमाबंदी सम्वत 2027, गिरदावरी सम्वत 2030, गिरदावरी सम्वत 2035 तथा बन्दोबस्त सम्वत 2020 के खसरा संख्या 302 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा सिवायचक उक्त सम्पुर्ण दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन स्पष्ट है कि वादी विवादित आराजी का खातेदार घोषित कराने का अधिकारी नही है। पैरोकार के जवाब व उक्त उद्वरण तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहन अवलोकरन व मनन के बाद गौर व अवलोकन से दावा वादी कि जो काबिल–ए–दुरूस्त योग्य उचित प्रतीत नही होता है।

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा 88, 89 बाबत् इस्तकरार हक्क मय दुरुस्ती आराजी खसरा संख्या 284/0.09, 285/0.18, 286/0.30 वाके ग्राम नांडू तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य के आधार पर साबित नही होने के कारण दावा वादी खारीज/अस्वीकार किया जाता है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड का दर्ज इन्द्राज यथावत रखा जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला- अलवर
सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :–01/171/2017 ऑनलाईन नम्बर–2017/00348 प्रवेश तिथि–26.09.2017

1. लिछमन पुत्र छीतर जाति जांगडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम नांडू तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर। मृतक जरिये वारिसान–
   1/1. अशोक कुमार जांगिड पुत्र स्व0 श्री लिछमन जाति जांगिड निवासी नांडू तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर।
   1/2. ओमकान्त जांगिड पुत्र स्व0 श्री लिछमन जाति जांगिड निवासी नांडू तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर जिला अलवर राजस्थान।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ वर्तमान तहसीलदार टहला जिला अलवर राजस्थान।

.....प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक्क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा –88,
उपस्थितः–श्री सतीश शर्मा एड0–वादी
पैरोकार सरकार–प्रतिवादी

पर्चा डिक्री *दिनांकः–25/11/2025*

दावा वादी अन्तर्गत धारा 88, 89 बाबत् इस्तकरार हक्क मय दुरूस्ती आराजी खसरा संख्या 284/0.09, 285/0.18, 286/0.30 वाके ग्राम नांडू तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य के आधार पर साबित नही होने के कारण दावा वादी खारीज/अस्वीकार किया जाता है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड का दर्ज इन्द्राज यथावत रखा जावें।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हों

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/11/2025 को तैयार कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर